संख्या—1462/(1)/44-1/91-2/1991

प्रेषक,

श्री आर० सी० त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शासन के समस्त प्रमुख
सचिव/सचिव/विशेष सचिव,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 25 नवम्बर, 1991

**विषय:—** राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि सदस्यों/निदेशकों की नियुक्ति मनोनयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पार्श्वांकित पत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्रों में यह

1- सं०—3261/चौ०-1-1985, दिनांक 13 दिसम्बर, 1986
2- सं०—अर्द्ध०शा०प०सं०—2876/चौ०-1/85, दिनांक 30 नवम्बर, 85

आदेश दिये गये थे कि राज्य के सार्वजनिक उद्यमों/निगमों तथा प्राधिकरणों में सदस्यों/निदेशक की नियुक्ति/मनोनयन जो शासन स्तर से की जाती है, माननीय मुख्य मंत्री जी की अनुमति से किया जाय परन्तु इधर ऐसा देखा जा रहा है कि उक्त आदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

2- अतः इस सम्बन्ध में पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों प्राधिकरणों में सदस्यों/निदेशकों की नियुक्ति मनोनयन जो शासन स्तर से की जाती है, माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त किये बिना न किये जायं। इसके अतिरिक्त रूल्स आफ बिजनेस के अनुमार पर्गिनियत आयोग एवं महत्वपूर्ण तदर्थ आयोग के सदस्यों की नियुक्ति त्याग पत्र स्वीकार करने एवं हटाने के सम्बन्ध में मा० मुख्य मंत्री जी के पर्व आदश अवश्य प्राप्त किये जायं।

3- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सर्निाश्चत किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निदेश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(आर० सी० त्रिपाठी)
प्रमुख सचिव।